

संख्या:पीसीएच-एचए(1)9/06-II-NOC - 51441-544

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

POORVA
w
ADM
Jal
6-9-19

सेवा में,

- 1 समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।
- 2 समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
- 3 समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक 31 अगस्त, 2019.

विशय:-

अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रों दिनांक 7.9.2013, 15.10.2013, 20.3.2014 के द्वारा आपको ग्राम पंचायतों द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, के संदर्भ में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों में ग्राम पंचायतों द्वारा किसी भी परियोजना, व्यवसाय इत्यादि के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायतों से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त

(ललित जैन)
निदेशक,

पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

51545-77

पृष्ठांकन संख्या:- पीसीएच-एचए(1)9/06-II-NOC

शिमला-09

दिनांक 31 अगस्त, 2019.

प्रतिलिपियां

- 1 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 2 निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग हि0 प्र0, सूचना एवं प्रौद्योगिकी भवन मैहली
शिमला-1710013 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 3 निदेशक उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश, उद्योग भवन, शिमला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(ललित जैन)
निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।